राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली– 110002

7(17)–1/रा.बा.भ/सर्कुलर/2020(वो–II)/392. दिनांकः 30.10.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषयः उपस्थिति में समय की पाबंदी

समय की पाबंदी एक अदभुत गुण है और जो व्यक्ति इस अनुशासन के साथ जीते हैं, वह प्रशंसा और सम्मान के पात्र होते हैं। कार्यस्थल पर समय की पाबंदी का पालन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर व्यक्ति को उसके द्वारा लगाए गए घंटों का भुगतान मिलता है।

शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.44011/05/2020–ई. IV दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के अनुसार स्टाफ/अधिकारियों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निश्चित रूप से सुबह 9:00 बजे तक कार्यस्थल पर पहुँचे और अपने निर्धारित कार्य को शुरू कर दें, यदि देर से उपस्थिति के लिए पहले से कोई विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की हो। किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता को कवर करने के लिए आगमन समय के संबंध में 10 मिनट की छूट दी जा सकती है। अनुग्रह की इस अवधि के दौरान कार्यालय पहुँचने वाले कर्मचारी फिर भी देर से आते हैं लेकिन ऐसे देर से आने को तब तक माफ किया जा सकता है जब तक कि ऐसा बार–बार न हो। बिना अनुमति के, प्रत्येक दिन की देर से उपस्थिति के लिए कर्मचारी के खाते से आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाएगा। यदि आकस्मिक अवकाश खाते में न हो तो एक दिन का अर्जित अवकाश काटा जाएगा।

भारत सरकार दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के उपस्थित रहने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है जिसमें कि दोपहर 1:00 बजे से 1:30 बजे तक का समय भोजनावकाश के लिए है।

इस संबंध में सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(ii) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी सेवक निरंतर अपने कर्त्तव्य के प्रति समर्पित रहेंगे। आदतन देर से उपस्थिति को सरकार के प्रति अशोभनीय आचरण के रूप में देखा जाता है अतः ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह भी जोड़ा गया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति में समय की पाबंदी को हर स्तर पर पालन किया जाना है।

अतः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि कार्यालय में ईमानदारी से समय का पालन करें।

(दिनेश कुमार)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

1. रा.बा.भ. की वेबसाईट।
2. रा.बा.भ व ज.बा.भ., मांडी के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

अनुभाग अधिकारी

National Bal Bhavan
Kotla Road, New Delhi- 110002

7(17)-1/NBB/Circular/2020(Vol-II)/392 Dated: 30.10.2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Punctuality in attendance

Punctuality is a wonderful trait of a person which is admired & respected. Observance of punctuality at the work place is more important because it is here that one gets paid for the hours he/she puts in.

As per instructions issued by Ministry of Education, Department of Higher Education vide OM no. A.44011/05/2020-E.IV dt. 28th October, 2021, every member of the staff/Officers is expected to be in his/her seat & to start work by 9:00 a.m unless he/she has previously obtained special permission for late attendance. 10 minutes grace may be allowed in respect of arrival time to cover any unforeseen contingencies. Persons reaching office during this period of grace are nevertheless late coming but such late coming may be condoned unless it is becomes a matter of frequent occurrence. Half a day's Casual Leave is to be deducted from the employee's Casual Leave account for each day's late attendance.

The normal hours of attendance for Govt. of India officers located in Delhi/New Delhi is from 9.00 a.m. to 5.30 p.m. with half an hour lunch break from 1.00 p.m. to 1.30 p.m.

In this connection, attention is also invited to Rule 3(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964 which stipulates that every Govt. servant shall at all times maintain devotion to duty. Habitual late attendance is viewed as conduct unbecoming of a Govt. servant and disciplinary action may be taken against such a Govt. servant. It is also added that punctuality in attendance is to be observed by Govt. servants at all levels.

All Officers & Officials are, therefore, requested to scrupulously follow the office timings & observe punctuality.

(Dinesh Kumar)
Section Officer

To

1. Website of NBB
2. All officers & employees of NBB & JBB, Mandi.

Section Officer